न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (न्यू)/बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम, कोर्ट नं. 02 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः सुनील कुमार–द्वितीय....................एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं.– 1428/2022

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

1. ओमपाल पुत्र स्वर्गीय बालकराम, निवासी ग्राम नवदिया भगत, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत

.....अभियुक्त।

मु.अ.सं.–83/2022
धारा–452, 376, 323, 504 व 506 भादंसं
थाना–बीसलपुर, जनपद–पीलीभीत

निर्णय

1. इस सत्र परीक्षण में अभियुक्त ओमपाल का विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा–452, 376, 323, 504 व 506 के अंतर्गत अपराध के लिए किया गया है।

2. भारतीय दण्ड संहिता की धारा–228ए के अन्तर्गत कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण के आलोक में उपरोक्त मामले की पीड़िता को उसके मूल नाम के स्थान पर पीड़िता के सम्बोधन से सम्बोधित किया जायेगा।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी से गांव के ओमपाल पुत्र बालकराम ने करीब 5 वर्षों से नाजायज सम्बन्ध यह कहकर बना लिए हैं कि वह वादिनी के साथ शादी कर लेगा। वादिनी ने कई बार शादी करने के बाबत कहा तो वह टाल–मटोल करता रहा। उक्त ओमपाल काफी समय से बहला–फुसलाकर नाजायज सम्बन्ध बनाये हुए है तथा वादिनी का शारीरिक शोषण करता चला आ रहा है। दिनांक 31.10.2021 को शाम 8:00 बजे ओमपाल पुत्र बालकराम घर में घुस आया और वादिनी के साथ जबरदस्ती करने लगा। मना करने पर ओमपाल ने वादिनी के साथ बुरी तरह मारपीट की तथा गालियाँ

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.03 16:49:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दीं। शोर मचाने पर उक्त ओमपाल धमकी देकर भाग गया। ओमपाल वादिनी को काफी परेशान किए हुए है।

4. वादिनी मुकदमा द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं. 01, पीलीभीत के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दंप्रसं के आधार पर आदेश दिनांकित 23.12.2021 के अनुपालन में थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक–25.01.2022 समय 14.38 बजे दर्ज की गई, जिसके आधार पर जी.डी. कायमी अंकित की गई, जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है तथा मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गई है।

5. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी, गवाहों के बयान अंकित किए गए। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नज़री तैयार किया गया और पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त ओमपाल के विरूद्ध धारा–452, 376, 323, 504 व 506 भादंसं के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

6. विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं. 01, पीलीभीत के द्वारा आरोप पत्र पर मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त को विचारण हेतु आहूत किया गया तथा उनको अपेक्षित दस्तावेजों की नकलें देने के पश्चात मामला सत्र परीक्षणीय पाते हुए दिनांक–22.09.2022 को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

7. दिनांक–19.10.2022 को अभियुक्त ओमपाल को भारतीय दंड संहिता की 452, 376, 323, 504 व 506 के अंतर्गत अपराध के लिए आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा दोषी न होने का अभिकथन करते हुए विचारण की मांग की।

8. **अभियोजन साक्षी–**अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया है–

क्र. सं.	साक्षी सं.	साक्षी का नाम	अभियोजन साक्षीगण का विवरण
1.	पी०डब्लू० 1	पीड़िता	वादिनी मुकदमा

तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलिखित साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं०	प्रदर्श सं०	दस्तावेज का नाम	किसके द्वारा साबित
1.	प्रदर्श क–1	पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को प्रेषित प्रार्थना पत्र	पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता
2.	प्रदर्श क–2	पंजीकृत डाक रसीद	पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता
3.	प्रदर्श क–3	प्रार्थना पत्र अं. धारा 156(3) दंप्रसं	पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता
4.	प्रदर्श क–4	बयान पीड़िता धारा 164 दंप्रसं	पी०डब्लू० 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता
5.	प्रदर्श क–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट	औपचारिक सत्यता स्वीकार
6.	प्रदर्श क–6	कायमी जीडी	औपचारिक सत्यता स्वीकार
7.	प्रदर्श क–7	नक्शा नजरी	औपचारिक सत्यता स्वीकार
8.	प्रदर्श क–8	आरोप पत्र	औपचारिक सत्यता स्वीकार

9.
10.

साक्ष्यः–

11. अभियोजन द्वारा परीक्षित उक्त साक्षीगण में से अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसके पति वीरपाल की मृत्यु अब से करीब पन्द्रह–सोलह वर्ष पूर्व हो गयी थी। तभी उसके गाँव का ओमपाल उसके घर आने–जाने लगा। ओमपाल ने उससे शादी करने को कहा और उससे शारीरिक सम्बन्ध बना लिये। उसे विश्वास था कि ओमपाल उससे शादी कर लेगा। बाद में कुछ समय बाद उसने साक्षी से शादी करने से इंकार कर दिया। वह अपने घर रहने लगी। अब से लगभग आठ–नौ माह पहले ओमपाल उसके घर में घुस आया और उसने सम्बन्ध बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने पर वह भाग गया। जिसकी शिकायत उसने थाने में व पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत से दिनांक 01.11.21 को की थी। द्वारा रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। डाक रजिस्ट्री रसीद पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इसके बाद कोई कार्यवाही न होने पर द्वारा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–156(3) दंप्रसं मय शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। न्यायालय में उसका बयान हुआ था। न्यायालय की आज्ञा से एक सील बंद लिफाफा बयान 164 दंप्रसं खोला गया जिसे पीड़िता/साक्षी ने देखकर पहचान करते हुये कहा कि यह वही बयान है जो उसने न्यायालय में दिनांक 27–05–2022 को दिया था। इस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। दारोगा जी ने उससे घटना बावत पूछताछ की थी। उसका बयान लिया था। उसका डॉक्टरी मुआइना हुआ था।

12. बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 31–10–2021 को उसके गाँव में ओमपाल से कहा–सुनी हो गयी थी, जो आज हाजिर अदालत है। जो उसकी ओमपाल से कहा–सुनी हुयी थी, उसकी NCR उसने थाने पर दर्ज करायी थी। गाँव में कुछ लोगों ने उससे कहा कि पीलीभीत चली जाओ, उनकी जान–पहचान में वकील लोग हैं। उसने थाने पर जो NCR दर्ज करायी थी, उसमें सही से कानूनी कार्यवाही करा देंगे। वह गाँव वालों के कहने–सुनने पर पीलीभीत कचहरी आयी थी और कचहरी में गाँव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को देने के लिए टाइपशुदा प्रा० पत्र पर उससे अँगूठा लगवाया था क्योंकि वह पढ़ी–लिखी नहीं हैं। इसीलिए उसने प्रा० पत्र नहीं पढ़ा और न ही उसे किसी ने प्रा० पत्र पढ़कर सुनाया था। प्रा० पत्र में बलात्कार वाली बात व अन्य तथ्य जो लिखे गये हैं, उससे सम्बंधित किसी प्रकार का कोई वाक्या ओमपाल ने उसके साथ नहीं किया था। धारा 156(3) प्रा० पत्र में जो भी तथ्य लिखे गये हैं, वह उसे पढ़कर नहीं सुनाये गये। उससे केवल अंगूठा लगवा लिया था। धारा 156(3) CrPC के प्रा० पत्र में लिखे तथ्यों की जानकारी आज उसे पहली बार हुयी है। ओमपाल ने उसके साथ घर में घुसकर कोई बलात्कार कारित नहीं किया था और न ही मारपीट की गयी, न ही ओमपाल ने उसे गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान हुआ था। पुलिस द्वारा कराया गया था। बयान धारा 164 उसने गाँव वालों के सिखाने–पढ़ाने पर व पुलिस के दबाव में दिया था। जो बात उसने आज न्यायालय के समक्ष बतायी है, वही बात उसने पुलिस को बतायी थी। उसने अदालत के समक्ष मुख्य परीक्षा में जो बयान दिये हैं, वह पुलिस के कहने व पुलिस के दबाव में दिए थे। ओमपाल से गाँव बस्ती के नाते उसके प्रेम सम्बन्ध हैं। ओमपाल ने उससे शादी करने के सम्बन्ध में नहीं कहा था और न ही उसे शारीरिक सम्बन्ध बनाने को कहा।

13. अभियोजन की ओर से की गई प्रति परीक्षा में साक्षी को उसका बयान धारा 161 दंप्रसं व 164 दंप्रसं पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान अंकित किया वह पुलिस के दबाव व गाँव वालों के कहने पर दिया था। प्रा० पत्र 156(3) दंप्रसं के तथ्यों को पढ़कर साक्षी को सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि प्रा० पत्र में वर्णित घटना को ओमपाल के द्वारा उसके साथ कारित नहीं किया था। यह कहना गलत है कि उसने ओमपाल से शादी कर ली हो और इसी कारण वह झूठी बात न्यायालय को बता रही है।

बयान अभियुक्त अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं:–

14. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि ने घटना को गलत बताया है तथा साक्षी के बयान को गलत बताया है। उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा चला है, उसने कोई घटना कारित नहीं की वह निर्दोष है। अभियुक्त की ओर से सफाई में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया।

अभियोजन एवं अभियुक्त की ओर से तर्कः–

15. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है। इसके विपरीत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन के साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्त ने गम्भीर अपराध कारित किया है। तद्नुसार, उनको दोषसिद्ध कर दण्डादिष्ट किया जाना चाहिए।

निष्कर्षः–

16. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अभिलेख का सम्यक् परिशीलन किया।

17. दाण्डिक विधिशास्त्र का सिद्वान्त है कि अभियोजन को अभियुक्त की किसी अपराध में सहभागिता को स्थापित करने के प्रारम्भिक एवं परम्परागत भार के दायित्व का निर्वहन करना चाहिये। अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गए आरोप के लिए तभी दण्डादिष्ट किया जा सकता है कि जब अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल हो कि कथित घटना घटित हुयी तथा इस संबंध में प्रस्तुत किए गए अभियोजन साक्ष्य व चिकित्सीय साक्ष्य से युक्तियुक्त सन्देह से परे अभियुक्त का घटना कारित किया जाना साबित हो। विश्लेषण इस तथ्य का किया जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने उपरोक्त दायित्व का निर्वहन करने में सफल रहा है?

18. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसके पति वीरपाल की मृत्यु अब से करीब पन्द्रह–सोलह वर्ष पूर्व हो गयी थी। तभी उसके गाँव का ओमपाल उसके घर आने–जाने

लगा। ओमपाल ने उससे शादी करने को कहा और उससे शारीरिक सम्बन्ध बना लिये। उसे विश्वास था कि ओमपाल उससे शादी कर लेगा। बाद में कुछ समय बाद उसने साक्षी से शादी करने से इंकार कर दिया। वह अपने घर रहने लगी। अब से लगभग आठ–नौ माह पहले ओमपाल उसके घर में घुस आया और उसने सम्बन्ध बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके चिल्लाने पर वह भाग गया। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कहा कि दिनांक 31.10.2021 को उसकी अभियुक्त ओमपाल से केवल कहा–सुनी हुई थी, जिसके संबंध में उसने थाना पर एन.सी.आर. दर्ज कराई थी। गांव के कुछ लोगों के कहने पर वह पीलीभीत कचहरी गई, जहाँ पुलिस अधीक्षक को दिए जाने हेतु तैयार टंकित प्रार्थना–पत्र पर, अशिक्षित होने के कारण, बिना पढ़े अंगूठा लगवा लिया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र एवं धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना–पत्र में अंकित बलात्कार एवं अन्य आरोपों की उसे कोई जानकारी नहीं थी तथा उसमें वर्णित घटनाएं असत्य हैं। अभियुक्त ने उसके साथ घर में घुसकर बलात्कार, मारपीट, गाली–गलौज अथवा जान से मारने की धमकी जैसी कोई घटना कारित नहीं की। उसने यह भी कहा कि धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसका बयान गांव वालों के सिखाने–पढ़ाने तथा पुलिस के दबाव में दर्ज कराया गया था तथा न्यायालय में मुख्य परीक्षा के दौरान दिया गया बयान भी पुलिस के कहने एवं दबाव में दिया गया था। अभियुक्त से उसके केवल गांव–बस्ती के नाते प्रेम संबंध थे तथा अभियुक्त ने उससे कभी विवाह करने का वादा नहीं किया और न ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। अभियोजन की ओर से की गई प्रति परीक्षा में साक्षी को उसका बयान धारा 161 दंप्रसं व 164 दंप्रसं पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और मजिस्ट्रेट के समक्ष जो बयान अंकित किया वह पुलिस के दबाव व गाँव वालों के कहने पर दिया था। प्रा० पत्र 156(3) दंप्रसं के तथ्यों को पढ़कर साक्षी को सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि प्रा० पत्र में वर्णित घटना को ओमपाल के द्वारा उसके साथ कारित नहीं किया था।

19. इस प्रकार पी.डब्लू.–1 वादिनी/पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया, किन्तु प्रतिपरीक्षा में वह अपने पूर्व कथनों से पूर्णतः मुकर गई। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार, घर में घुसकर मारपीट, गाली–गलौज अथवा जान से मारने की धमकी जैसी कोई घटना कारित नहीं की गई थी। उसने यह भी कहा कि धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र, धारा 161 तथा धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन उसके द्वारा स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे तथा वे पुलिस एवं गांव वालों के कहने पर तैयार कराए गए थे। अभियोजन द्वारा की गई पुनः परीक्षा में भी साक्षी अपने उक्त कथनों पर कायम रही। अतः पीड़िता द्वारा अभियोजन के

कथानक का समर्थन न किये जाने, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव से अभियोजन कथानक की पुष्टि न होने के कारण अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

20. जहाँ तक प्रस्तुत प्रकरण के धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान का सम्बन्ध है, वह मौलिक साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता है। जैसा की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **Parvat Singh & Ors.** ***Versus*** **State of Madhya Pradesh, [CRIMINAL APPEAL NO. 374 OF 2020]** में अवधारित किया है किः–

> "14.1 ...As per the settled proposition of law, the statement recorded under Section 161 Cr.P.C. can be used only to prove the contradictions and/or omissions. Therefore, as such, the High Court has erred in relying upon the statement of PW8 recorded under Section 161 Cr.P.C. while observing that the appellants were having the lathis."

21. जहाँ तक मामले में पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. का संबंध है, अनेक विधि–व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत किसी पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान मौलिक साक्ष्य नहीं होता है और केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 के अन्तर्गत खण्डन करने एवं धारा 157 के अंतर्गत सम्पुष्ट करने के योग्य होता है।

22. विधि निर्णय **पेरला सोमशेखर रेड्डी एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य** द्वारा लोक अभियोजक **ए.आई.आर. 2009 एस.सी. सप्लीमेंटरी 2622** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि निःसंदेह उस व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है कि वह ऐसे किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध न किया जाये जो संदेह से परे साक्ष्य के मानक के अनुसार उसके विरूद्ध साबित न किया गया हो। विधि निर्णय **मथुरा प्रसाद व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1992 ए.आई.आर.49** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहता है तो वह दोषमुक्त होने का अधिकारी होगा।

23. उपरोक्त विश्लेषण से इस न्यायालय की राय में अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–452, 376, 323, 504 व 506 भा.दं.सं. युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार, अभियुक्त ओमपाल धारा 452, 376, 323, 504 व 506 भां.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

24. सत्र परीक्षण संख्या–1428/2022, मु.अ.सं.83/2022, अंतर्गत धारा–452, 376, 323, 504 व 506 भां.दं.सं., थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत में अभियुक्त ओमपाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित न होने के कारण अभियुक्त ओमपाल को दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्त ओमपाल मामले में पूर्व जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतनामे व बंधनपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। क

26. अभियुक्त की ओर से धारा 437A द०प्र०सं० का अनुपालन किया जा चुका है।

27. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–03.07.2026

(सुनील कुमार, द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(न्यू)/बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम
कोर्ट नं. 02, जनपद पीलीभीत
J.O Code. UP–1814

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया।

दिनांक–03.07.2026

(सुनील कुमार, द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(न्यू)/बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम
कोर्ट नं. 02, जनपद पीलीभीत
J.O Code. UP–1814